न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2020(2020 / 00042)

श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री सूरजमल जाति ब्राम्हण निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर दौराने प्रार्थना पत्र फोतशुद बजाय उसके वारिसान:–

1 / 1. लीला देवी पुत्री श्री सूरजमल पत्नि श्री बालमुकन्द पारीक निवासी सुनारिया तहसील सरवाड जिला अजमेर।

1 / 2. महेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री सूरजमल पारीक जाति ब्राम्हण निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

1 / 3. रूपेन्द्र कुमार पारी पुत्र श्री सूरजमल पारीक जाति ब्राम्हण निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

1 / 4. विमला देवी पारीक पुत्री श्री सूरजमल पारीक पत्नि श्री सुनील कुमार पारीक निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति आशा देवी पत्नि श्री सुरेश जाति तेली।
2. श्रीमति लाली देवी पत्नि श्री सत्यनारायण जाति तेली।
   निवासीगण पुराना आर.टी.ओ ओफिस के सामने विनायक प्लाजा के पास, अजमेर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. कैलाशचन्द पुत्र श्री गोपी।
4. काना पुत्र श्री हरजी।
5. रतनलाल पुत्र श्री गोपी।
6. रामअवतार पुत्र श्री रामधन।
   समस्त जाति जाट निवासीगण सेन्ट्रल एकेदमी स्कूल के सामने राजपुरा रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
7. गोविन्द पुत्र श्री रामपाल
8. विनय कुमार पुत्र श्री रामगोपाल।
9. सतीश कुमार पुत्र श्री रामगोपाल।
   जाति साधु निवासीगण खिड़की गेट तिवाडी मौहल्ला, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिक केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
11. श्रीमति कमला पत्नि स्व0 श्री छीतरदास जाति साधू निवासी अस्थल मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
12. गीता पुत्री श्री कालू।
13. दिलखुश पुत्र श्री कालू।
14. भैंरू पुत्र श्री पोलू।
15. मनभर पत्नि श्री कालू।
16. ममता पुत्री श्री कालू।
17. रामघणी पुत्री श्री कालू।
    समस्त जाति जाट निवासीगण सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास, राजपूरा रोड, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

19. कालू पुत्र श्री रामदयाल।
20. गीता पुत्री श्री जगदीश।
21. नोरत पुत्र श्री रामनिवास।
22. पिंकी पुत्र श्री रामदयाल।
23. भंवर पुत्र श्री जगदीश।
24. मदन पुत्र श्री जगदीश।
25. मोहन पुत्र श्री जगदीश।
26. [illegible] पुत्र श्री जगदीश।
27. राजेन्द्र पुत्र श्री रामनिवास।
28. रामघणी पत्नि रामनिवास।
29. शंकर पुत्र छीतर।
30. शम्भू पुत्र रामनिवास।
31. सन्नू पुत्री छीतर।
32. सीता पुत्री छीतर।
33. कन्हैयालाल पुत्र श्री रामप्रताप तेली।
34. नन्दकिशोर पुत्र श्री रामप्रताप तेली।
35. भूरी देवी पत्नि श्री रामप्रताप तेली।
36. शम्भूलाल पुत्र श्री रामप्रताप तेली।

समस्त जाति तेली निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री मिठू सिंह राठौड—वकील प्रार्थी
श्री आसिफ हुसैन—वकील अप्रार्थी 33 लगायत 36
श्री तहसीलदार केकडी—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक—30.9.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी वाके केकडी तहसील केकडी में स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1101—977	1047	0.40	जाव 2
	1048	0.04	गै.मु.चाह
	1058	1.30	बा.1
	1059	0.13	बा. 1
	1060	0.71	बा.1

उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपतय की है जिसमें प्रार्थीया के अलावा दीगर व्यक्ति या अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 का कानूनन हक अधिकार नही है उक्त खातेदारी की आराजी वर्तमान खसरा नंबर 1047, 1048, 1058, 1059, 1060 पुराने वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 के

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 186 मि. 174, 215, 186, 183 से बने है। प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय में पत्थरगढी हेतु प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 1554/17 में पारित निर्णय दिनांक 28.6.2019 पारित किया था जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 18 द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी दिनांक 30.5.2019 को करवाने हेतु मौके पर हल्का पटवारी, गिरदावर आदि गये तथा मौके पर प्रार्थीया की आराजी का मुस्तकिल बिन्दुओं से नाप चौप के दौरान प्रार्थीया की आराजी वर्तमान खसरा नंबर 1047 व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की आराजी खसरा नम्बर 1054 के मध्य मेड़ का मिलान नहीं हुआ तथा दो गट्टे का अन्तर आया अतः इस प्रकार मौके पर नक्शा व मौका मिलन नहीं होता है तथा पत्थरगढ़ी की कार्रवाई भू प्रबन्ध विभाग से करवाई जानी अपेक्षित है, के कारण नहीं हुई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 की आराजीयात प्रार्थीया की आराजी के लगवा है तथा आये दिन आराजीयात के नाप चौप कम ज्यादा रकबा को लेकर दिनांक 10.12.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 ने लड़ाई झगड़ा किया तथा प्रार्थीया की आराजीयात में निरन्तर दबाव बना रहे हैं तथा जबरन बेदखल करने पर आमादा है तब प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात का पुराना नक्शा ट्रेस सम्वत 2027–2028 व वर्तमान नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड के अड़ौसी पड़ौसी के खसरा नम्बरों सहित दिनांक 20.12.2019 व इसके बाद ली तब जानकारी हुई कि वर्तमान नक्शा ट्रेस में सेटलमेंट अधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी संख्या 18 की गलती से वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 1047, 1048, 1058, 1059, 1060 जो पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 से 2028 के पुराने खसरा नम्बर 174, 215, 186, 183 जिस पर पुरानी नक्शा ट्रेस में आकृति बनी हुई है जिससे व वर्तमान नक्शा ट्रेस की आकृति में भिन्नता है तथा प्रार्थीया की आराजी का नाप चौप 2 गट्टे कम कर दिया। पुराने खसरा नम्बर 174 चाह का भी गलत अंकन वर्तमान नक्शा ट्रेस में कर रखा है तथा आराजी खसरा नम्बर 1047, 1048, 1058, 1059, 1060 के नाप में 2 गट्टे का अन्तर आ रहा है यानि प्रार्थीया की आराजीयात को कम कर दिया है। तथा सरकारी भूमि पुराने खसरा नम्बर 173 जो वर्तमान खसरा नम्बर 1049 जो अप्रार्थी संख्या 10 के नाम दर्ज है जिसे भी वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत अंकित कर रखा है जबकि पुराने नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 174 व 173 एक सीध में हैं जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 173 नवीन खसरा नम्बर 1049 के नीचे खसरा नम्बर 1050 में दर्शित कर रखा है। इस प्रकार प्रार्थीया की आराजीयात वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत अंकन करके आराजी कम कर दी है तथा नाप में गट्टे का अन्तर आने से प्रार्थीया क आराजी कम हो गई है अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 जबरन कब्जा करने एवं लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं तथा विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीया की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1047, 1048, 1058, 1059 व 1060 का एवं खसरा नम्बर 1049 का वर्तमान नक्शा में की गई गलती अशुद्ध तरमीम को दुरुस्त करके पुराने नक्शा ट्रेस सम्वत् 2027 से 2028 के खसरा नम्बर 186 मि, 174, 215, 186, 183 व खसरा नम्बर 173 जिस प्रकार पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखे हैं तथा आकृतियां बनी हुई हैं, उसी स्थान पर पुनः नये नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा नंबर 1047, 1048, 1058, 1059 व 1060 का वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को रखी है को पुराने नक्शा ट्रेस सम्वत् 2027 से 2028 पुराने वर्किंग खसरा नंबर 186 मि. 174, 215, 186, 183 में बनी आकृति के अनुसार दुरूस्त किया जावे एवं सरकारी भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1049 जो प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज है जो भी गलत अंकन वर्तमान नक्शा ट्रेस में हो रखी है जिसे भी पुराने नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 से 2028 के नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 173 की आकृति के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 19 से 32 बावजुद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर एक्सपार्टी की गई। **अप्रार्थी संख्या 33 से 36 की ओर से जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है–**

प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के रिकोर्ड से सम्बन्धित है पैरा संख्या 2 के कथन गलत व अस्वीकार है पैरा संख्या 3 के कथन वर्णित किये गये प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के कथन जैसे वर्णित किये गये है गलत व अस्वीकार है। पेरा संख्या 5, 6, 7 गलत व अस्वीकार है प्रार्थना पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]रा संख्या 8, 9,10,11 कानूनी है अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 अपनी खातेदारी की खसरा संख्या 1065 रकबा 2.7200हैक्टर, खसरा संख्या 1067 रकबा 1.072 हैक्टर, खसरा संख्या 1068 रकबा 0.5900हैक्टर पर काबिज है जो अप्रार्थीगण संख्या 33 से 36 के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है जो अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 के पूर्वजो से सही रूप से राजस्व रेकार्ड में चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजीयात पर नियत बद है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजीयात को हडपने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजीयात में घुसना चाहते है प्र[illegible] अ[illegible]नी आराजीयात पर आसीन है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 द्वारा किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही की जा रही है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजीयात पर जबरन घुसने का प्रयास करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 1554/17 में पारित निर्णय दिनांक 28.6.2018 पारित किया था जिसकी पालना प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी दिनांक 30.5.2019 को करवाने हेतु मौके पर हल्का पटवारी, गिरदावर आदि गये तथा मौके पर प्रार्थीगण की आराजी का मुस्तकिल बिन्दुओं से नाम चौप के दौरान प्रार्थीगण का आराजी की मेड का मिलना सही पाया गया था किन्तु प्रार्थीगण की नियत अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजीयात में घुसने का है तथा प्रार्थीगण की नियत बद है तथा अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजी को जबरन हडपने का है प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 को हैरान परेशान करने का है उक्त वर्णित आराजीयात का तरमीम सही हो रखा है तथा प्रार्थीगण की नियत खराब है तथा उक्त प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 36 की आराजीयात में घुसना चाहते है इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने स्वयं मान्य न्यायालय में पत्थरगढी का दावा किया था जिस पर मान्य न्यायालय निर्णय कर गिरदावर व पटवार हल्का से नाप चौप कर पत्थरगढी कर प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात सौंप दी थी किन्तु प्रार्थीगण की नियत बद होने की वजह से उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 को हैरान परेशान किया जा रहा है वाद वर्णित आराजीयात के खसरा संख्या 1058 रकबा 1.30हैक्टर किस्म बारानी 1 में से प्रार्थीगण द्वारा अनिल जैन पुत्र अमरचन्द जैने को हिस्सा 48/65, महेन्द्र कुमार पुत्र सुरजमल ब्राम्हण को हिस्सा 1[illegible] रूपेन्द्र कुमार पुत्र सुरजमल ब्राम्हण को हिस्सा 17/130 बेचान कर दिया है उक्त वाद वर्णित खसरा संख्या 1058 पर मान्य उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी में विचाराधीन वाद पुष्पा पत्नी सुरजमल वर्गरह बनाम आशा पत्नी सुरेश तेली वगैरह में अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत दिनांक 28.6.2022 से वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित है उक्त वाद वर्णित आराजीयात के रिकोर्ड खातेदार अशोक जैन पुत्र अमरचन्द को पक्षकार नही बनाया गया है इस वजह से भी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होने योग्य है अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 अपनी आराजीयात खसरा संख्या 1065 रकबा 0.2700हैक्टर, खसरा संख्या 1067 रकबा 1.072 हैक्टर, खसरा संख्या 1068 रकबा 0.5900हैक्टर पर सही रूप से काबिज है जो अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 के स्वामित्व व आधिपत्य में है तथा अप्रार्थीगण संख्या 33 लगायत 36 की आराजीयात पर प्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नही है अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार केकडी–पैरोकार सरकार ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2021/1283 दिनांक 12.11.2021 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 1101 के खसरा नंबर 1047 रकबा 0.40हैक्टर, 1048 रकबा 0.40हैक्टर, 1048 रकबा 0.04 गै.मु.चाह, 1058 रकबा 0.30, 1059 रकबा 0.13, 1060 रकबा 0.71हैक्टर पुष्पा पत्नि सुरजमल जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार राहीन एच.डी.एफ.सी.शाखा केकडी के नाम दर्ज है।
2. बिन्दु संख्या 2 कानूनी है।
3. बिन्दु संख्या 3 स्वीकार है।
4. बिन्दु संख्या 4 स्वीकार है।

[illegible] अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

5. भु–प्रबन्धक विभाग द्वारा साबिक नक्शे के मुकाबले हाल खसरा नंबर 1048, 1047 की दक्षिणी भुजा हाल खसरा नंबर 1041 में बढती है खसरा नंबर 1047, 1059, 1058 की पश्चिमी भुजा संलग्न नक्शे के अनुसार घटती है खसरा नंबर 1058 की पूर्वी भुजा पडौसी खातेदार के खसरा नंबर 1067, 1066 व वादी के खसरा नंबर 1060 में बढती है तथा वादी के हाल खसरा नंबर 1060 की उत्तरी भुजा पडौसी खातदेार खसरा नंबर 1066 में घटती व बढ़ती है साबिक नक्शे के अनुसार प्रस्ताव दुरस्ती का लाल स्याही से दर्शित कर नक्शा संलग्न है संलग्न प्रस्तावित दुरस्ती अनुसार खसरा नंबर 1041, 1067, 1066, 1054, 1055, 1056 के खातेदार प्रभावित होते है अतः खसरा नंबर के खातेदारान को सुना जाकर निर्णय किया जाना उचित होगा।
6. बिन्दु संख्या 6 वादी स्वंय सिद्व करे।
7. बिन्दुं संख्या 7–12 कानूनी है।

बहस में प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में बताया प्रकरण संख्या 1554/17 निर्णय दिनांक 28.6.2018 पारित किया जिसकी पालना में पत्थरगढ़ी दिनांक 30.5.2019 को करवाने हेतु मौके पर हल्का पटवारी गिरदावर द्वारा मौके नाप चौप के दौरान प्रार्थीगण की आराजी की मेड का मिलान सही पाया गया व पत्थरगढ़ी हो चुकी है तथा खसरा संख्या 1058 रकबा 1.30हैक्टर में से प्रार्थीगण द्वारा अनिल जैन, महेन्द्र कुमार, रूपेन्द्र कुमार को बेचान कर दिया है उक्त खसरा संख्या 1058 पर मान्य उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी में पुष्पा बनाम आशा वगैरह में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.6.2022 से वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित है।अतः उक्त वर्णित आराजीयात के रिकोर्ड खातेदार अनिल जैन पुत्र अमरचन्द को पक्षकार नही बनाया गया है इस वजह से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में बताया कि पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 30.5.2019 में मौके पर्चे उल्लेखित है कि खसरा नंबर 1047, 1054 के मध्य मेड का मिलान नही हुआ दोनो तरफ से नाप करने पर 2 गड्डा का अन्तर आया इस प्रकार मौके पर नक्शा व मौका मिलान नही होने से पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम दुरस्ती करने का निवेदन किया। **पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई**

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। प्रार्थी के दस्तावेज मौका पर्चा, भु.अ.नि. केकडी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा में अंकित नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार केकडी की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजी कस्बा केकडी के खसरा संख्या 1048, 1047 की दक्षिणी भुजा हाल खसरा नंबर 1041 में बढती है खसरा नंबर 1047, 1059, 1058 की पश्चिमी भुजा संलग्न प्रस्तावित दुरस्ती नक्शे अनुसार घटती है खसरा नंबर 1058 की पूर्वी भुजा पडौसी खातेदार खसरा नंबर 1067, 1066 व वादी के खसरा नंबर 1060 में बढती है तथा वादी के हाल खसरा नंबर 1060 की उत्तरी भुजा पडौसी खातेदार खसरा नंबर 1066 में घटती व बढती है साबिक नक्शे के अनुसार प्रस्तावित दुरस्ती का लाल स्याही से दर्शित अनुसार दुरस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी